न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—366/2025/223 आर.टी.एक्ट (2025/366)

1. धनसिंह पुत्र चांदसिंह
2. नाहरसिंह पुत्र जोधसिंह जाति राजपूत, निवासी बूबानिया, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. करणसिंह पुत्र जवानसिंह जाति राजपूत निवासी बूबानिया, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए, तहसीलदार नसीराबाद, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

3. भंवरसिंह पुत्र तेजसिंह
4. बलवीरसिंह पुत्र तेजसिंह
5. छोटूसिंह पुत्र जोधसिंह
6. प्रहलाद सिंह पुत्र जोधसिंह जाति राजपूत निवासी बूबानिया तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।

तरतीबी रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, जिला अजमेर राजस्व वाद संख्या 164/2022

उपस्थितः—

1. श्री राघवेन्द्रसिंह राणावत अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2
3. रेस्पोडेंट संख्या 1, 3 से 6 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—17.02.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 164/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/वादी द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 से 6 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राजकीय पैरोकार ने जवाब नहीं पेश करना जाहिर किया। प्रकरण में खण्डन नहीं होने से तनकी कायम नहीं की

जा सकी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 30.06.2025 को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 164/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1, 3 से 6 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा कोई प्रतिरोधात्मक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तथा उनके समक्ष पेश दस्तावेज से यह स्पष्ट साबित है कि विवादित आराजी प्रार्थीगण के पिता की 1/4 हिस्से की खातेदारी में दर्ज रही है। जिस कारण प्रतिरोध नहीं होने से वाद को प्रथम सुनवाई पर ही स्वीकार करना चाहिए। परन्तु उनके द्वारा अन्य आधारों पर जाकर प्रार्थी का वाद खारिज कर दिया गया, जो उनमें निहित क्षेत्राधिकार का असफल प्रयोग होने से उक्त प्रथम अपील के माध्यम से काबिल खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी को सन फसली में 1358 तक प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी में 1/4 हिस्से में दर्ज होना स्वीकार किया। परन्तु चौसाला जमाबंदी में खातेदारी में दर्ज नहीं होना अंकित कर प्रार्थीगण का वाद खारिज कर दिया जबकि बरवक्त सेटलमेंट ही राजस्व कार्मिकों द्वारा त्रुटि कारित करते हुए विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज किया गया जबकि सिवायचक दर्ज करने का कोई सक्षम आदेश नहीं रहा है। इसके अलावा प्रार्थीगण की अन्य आराजियात पर सिंचाई हेतु उक्त खसरा संख्या का ही हवाला है। जो साबित करता है कि विवादित आराजी प्रार्थीगण की पिता के समय से खातेदारी की आराजी रही है। जिसका मात्र इन्द्राज दुरुस्त करना है। आगामी राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज होने के कारण ही वाद पेश किया गया है, जो काबिल स्वीकार है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध जाकर अपने कयासों के आधार पर अपना निर्णय एवं डिक्री पारित किया है, जो उक्त प्रथम अपील के माध्यम से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इंतकाल संख्या 195 दिनांक 22. 06.1992 जो उक्त आराजी के प्रतिवादी संख्या एक के नाम नियमन आदेश है, को चुनौती नहीं देने के कारण प्रार्थीगण का वाद खारिज कर दिया जबकि नियमित वाद प्रस्तुत कर देने पर इंतकाल जैसी फिस्कल प्रोसेडिंग को पृथक से चुनौती देना आवश्यक नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में नियमन आदेश में मात्र प्रार्थीगण के पितागण का भी साथ ही 1/4 हिस्सा अंकित करना है, जो राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटि है तथा नियमन आदेश पारित करने से पूर्व राजस्व कार्मिकों द्वारा कारित की गई है। इस कारण पूर्व में कारित त्रुटि को दुरूस्त करने पर पश्चातवर्ती घटनाक्रम प्रभाव उत्पन्न नहीं करते हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य एवं दस्तावेजों के विपरित जाकर अपना निर्णय एवं डिक्री पारित किया है, जो उक्त प्रथम अपील के माध्यम से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि चौसाला नम्बर 1886 वर्किंग नम्बर 2199 तथा हाल नम्बर 1911 एवं 1910 बने हैं, जिसमें 1910 आज भी सिवायचक दर्ज है, जिसकी दुरूस्ती नियमित वाद के द्वारा ही हो सकती है तथा सन फसली के चौसाला नम्बर 1886 है, जिसके खातेदार अपीलांट के पितागण ही है, जो बाद में बरवक्त सेटलमेंट राजस्व

कार्मिकों की त्रुटि के कारण सिवायचक दर्ज हो गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को समझे बिना ही विधि विरूद्ध अपना निर्णय पारित कर दिया, जो काबिल निरस्तनीय है। राजस्व नियमों के अनुसार मात्र जमाबंदी में अंकन नहीं होने से किसी के खातेदारी हेतु अधिकार समाप्त नहीं हो जाते है जबकी यह एडिमेट फेक्ट है कि प्रतिवादी संख्या एक के पिता के साथ प्रार्थीगण के पितागण का भी विवादित आराजी में 1/4 हिस्सा निहित है तथा कब्जा साक्ष्य से साबित है तथा प्रतिवादीगण द्वारा भी वाद के कथनों से इनकार नहीं किया गया है, जो उनकी स्वीकृति की परिभाषा में आता है। जिस कारण प्रार्थीगण का वाद काबिल स्वीकार है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों के विपरित जाकर प्रार्थीगण का वाद खारिज कर दिया। इस कारण उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा पारीत निर्णय व डिक्री न्याय एवं नियमों के विरूद्ध होने से उक्त प्रथम अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि प्रार्थीगण की अन्य खातेदारी की आराजीयात की सिंचाई उक्त विवादित आराजी के खसरा नम्बर 1886 से होती है, जो राजस्व रिकॉर्ड से स्पष्ट साबित है, जिसमें सिंचाई का साधन उक्त चाह अंकित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड के विपरित जाकर अपना निर्णय पारित किया है, जो उक्त प्रथम अपील के माध्यम से काबिल निरस्तनीय है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 164/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2025 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. हमनें अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी/रेस्पोडेंट प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया जाकर प्रकरण में निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2025 को जारी की गई। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से कथन किया गया कि ग्राम बूबानिया के चौसाला खसरा नम्बर 1886 रकबा 0–6–10 के वर्किंग खसरा नम्बर 2199 रकबा 0–6–0 के हाल खसरा नम्बर 1911 रकबा 0.02 व 1910 रकबा 0.03 की आराजी खतौनी जमाबंदी सन फसली 1358 में खातेदार जवानसिंह, जोधसिंह, चांदसिंह के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज थी। अपीलांट द्वारा कहे गए कथनों का परीक्षण किया गया। नामांतरकरण संख्या 195 दिनांक 22.06.1992 से उक्त चाह में से 0–3–0 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता जवान सिंह पिता डूंगरसिंह व अन्य व्यक्तियों के नाम नियमन हुआ है। अपीलांट्स व तरतीबी रेस्पोडेंट्स के पिता के नाम उक्त चाह का नियमन नहीं हुआ है। उक्त चाह 0–3–0 जिसका नियमन हुआ है वह रेस्पोडेंट् संख्या 1 के पिता व अन्य व्यक्तियों को किया गया है जिसके हाल खसरा नम्बर 1911 रकबा 0.02 रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत सन फसली 1358 में उक्त विवादित आराजीयात अपीलांट्स के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है, परंतु अपीलांट्स को उक्त अपील के माध्यम से नियमन आदेश के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना उचित नहीं है। अपीलांट्स को उक्त नियमन आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्रता दी जाती है।

वर्किंग जमाबंदी में उक्त चाह जिन व्यक्तियों के नाम नियमन हुआ हाल राजस्व अभिलेख में उसी अनुसार इंद्राज किया गया है। वर्किग खसरा नम्बर 2199 के पूर्ण रकबे का नियमन नहीं होने के कारण हाल खसरा नम्बर 1910 रकबा 0.03 को सिवायचक दर्ज किया गया है। जबकि अपीलांट द्वारा यह कथन किया गया कि उक्त इंद्राज त्रुटिपूर्ण है, परंतु समस्त राजस्व दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा इंद्राज किए जाने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गई है। अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से कहे गए कथनों को वह साबित कर पाने में विफल रहे है, अथवा अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय व अपीलीय न्यायालय में ऐसे कोई समुचित राजस्व दस्तावेजात भी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिनसे उनके द्वारा कहे गए कथनों की पुष्टि हो सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व दस्तावेजात का भली भांति अवलोकन किए जाने के बाद प्रकरण में निर्णय व डिक्री विधिसम्मत रूप से पारित की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार कोई त्रुटि कारित नहीं हुई है, उनके द्वारा किया गया निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय व डिक्री यथावत रखा जाना न्यायोचित है व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

6. अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 164/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2025 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 17.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर